प्रेस विज्ञप्ति
25.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और गुजरात में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों और लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्यों का पता चला, जिनसे पता चला कि उन ऋण खातों से बैंक निधियों को बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरेन भानु की विदेशी संस्थाओं में डायवर्ट किया गया था, जो बाद में एनपीए में बदल गए। हिरेन भानु से संबंधित विदेशी संस्थाओं को भेजे गए 45 करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे लेनदेन के विवरण/दस्तावेजों का पता लगाया गया है, जिनकी छान-बीन चल रही जांच के दौरान की जा रही है।

ईडी की जांच आरबीआई द्वारा किए गए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जोखिम मूल्यांकन के दौरान न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 122 करोड़ रुपये की नकदी के गबन के आधार पर शुरू की गई थी। ईओडब्ल्यू, मुंबई भी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। बैंक से व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित धन का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के साथ-साथ बैंक के जमाकर्ताओं के साथ भी धोखाधड़ी हुई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।